महत्वपूर्ण

संख्या-123/2020/530/पांच-6-2020-01(बजट)/2019टी0सी0

प्रेषक

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(2) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज्
कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 04 अप्रैल, 2020

विषयः- कोरोना वायरस-19(कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभारी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक,जैसे-मास्क,पीपीआई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने के लिये धनआवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-166/एक-10-2020 33(221)/ 2011टी0सी0, दिनांक 01-04-2020 तथा एलाटमेंट ग्रिड रिपोर्ट दिनांक 01-04-2020 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभारी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक,जैसे-मास्क,पीपीआई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने के लिये वित्तीय वर्ष, 2020-21 में सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अग्रिम रूप से स्वीकृत धनराशि रूपया 100,00,00,000(एक सौ करोड़ रूपये मात्र) को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- **जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।**

2- **उपरोक्त धनराशि से वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु आवश्यक लाजिस्टिक,जैसे-मास्क,पीपीआई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि का क्रय वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित दरों/गाईड लाइन्स के अनुसार ही किया जाय।**

3- **राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।**

4- **समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31-03-2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31-03-2021 से पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।**

5- **राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की बेबसाइट (**https://rahat.up.nic.in**) पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाए।**

6- **राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11 दिनांक 04-03-2013 का अनुपालन किया जायेगा।**

7- **उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाए।**

8- **व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।**

9- **उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उक्त धनराशि से उपकरणों का क्रय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0 /**

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित इन्डेन्ट के आधार पर किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांन्स फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांन्स फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांन्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय '' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-123/2020/530(1)/पांच-6-2020 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथमआडिट प्रथम/, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त/राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय, राहत आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक (संचारी/संक्रामक रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
9- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10- अपर मुख्य कार्यापालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ / राजस्व अनुभाग-10, उ०प्र० शासन ।
11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/5, उ०प्र० शासन ।
12- गार्ड फाइल/चिकित्सा अनुभाग-1/5

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।